

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7.	परियोजना / स्कीम का स्थान	भा.रा.रा. संख्या 111 (नया 130) के बिलासपुर-कटघोरा सेक्शन के अन्तर्गत पथरापाली से कटघोरा (कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज-2) के सड़क फोरलेन चौड़ीकरण हेतु 83.6421 हेक्ट. वनभूमि अपेक्षित है।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कोरबा
(iii)	वन प्रभाग	कटघोरा
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन	83.6421 हे.
(v)	वन कानूनी स्थिति	वनभूमि 54.549 हे. राजस्व वनभूमि 29.093 हे. कुल 83.642 हे.
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.3
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. -2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल.4 मी. भी संलग्न किये जाये।	11299 वृक्ष उपलब्ध है। जिसका विवरण संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	प्रस्तावित परियोजना पथरापाली से कटघोरा रा.रा.क्र. 111 नया रा.रा. 130 4 लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु है। संरक्षित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि भू-क्षरण नगण्य है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	0 कि.मी.
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं है।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक	नहीं है।

	स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	अपरिहार्य और न्यूनतम है । जांचे गये विकल्पों के विवरण संलग्न है ।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	उल्लंघन नहीं हुआ है ।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	संलग्न है ।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है ।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है ।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	8,08,37,178/-
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जायें)	प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, तत्संबंधित प्रमाण पत्र उप वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर छायाचित्र सहित संलग्न है ।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें।)	क्षेत्र में वनस्पति और वन्यप्राणी की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां कोई नहीं पाई जाती है। प्रस्तावित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में

		स्थित नहीं है। व्यपवर्तन हेतु मांगी गयी भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है। जांचे गये विकल्पो के विवरण पूर्व में बिन्दु क्रमांक - 08 में संलग्न है, तथा इस क्षेत्र में अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।
12.	विभाग / जिला प्रोफाईल	कटघोरा वनमण्डल, कोरबा जिला
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	7145.44 वर्ग कि.मी.
(ii)	जिले का वनक्षेत्र	4187.375 वर्ग कि.मी.
(iii)	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	31 प्रकरण 3774.223 हे.
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक : (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	निरंक निरंक
(v)	2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	1434.248 हे. निरंक
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	अनुमोदित की जाती है।

दिनांक : 03/12/19.....
स्थान : कटघोरा.....


वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमंडल कटघोरा